महत्वपूर्ण/ स्पीड पोस्ट

संख्या- 1180 /नौ-1-14-103सा/14

प्रेषक,

श्रीप्रकाश सिंह
सचिव
उ0प्र0शासन।

सेवा में,

1. **समस्त मण्डलायुक्त**
उत्तर प्रदेश

2. **समस्त जिलाधिकारी**
उत्तर प्रदेश

3. **निदेशक,**
स्थानीय निकाय, उ0प्र0
लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-1 लखनऊः दिनांकः 04 मार्च, 2014

विषय : नागर निकायों के अध्यक्षों का शिष्टाचार व्यय हेतु अनुमन्य धनराशि में वृद्धि के संबध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय में पूर्व में निर्गत शासनादेश सं0 यू0ओ035/9.1.03-36मिस/03, दिनांक 14 मई, 2003 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा निम्नांकित निर्देश निर्गत किए गए हैंः

" ....उ0प्र0नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा-99(1) जिसमें यह प्राविधानित है कि "-प्रत्येक नगरपालिका आगामी मार्च, 31 दिनांक को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए वास्तविक व्यय और प्रत्याशित प्राप्तियों और व्यय का पूर्ण लेखा तैयार करायेगा और उसके बाद आगामी अप्रैल के प्रथम दिनांक को प्रारम्भ होने वाले वर्ष के लिए नगरपालिका की आय और बजट के प्राक्कलन के साथ उसे प्रतिवर्ष ऐसे दिनांक से पूर्व जो इस निमित्त नियमित निश्चित किया, होने वाली बैठक के समक्ष रखवायेगा।-", के संदर्भ में प्रदेश की समस्त नगरपालिका परिषदों/नगर पंचायतों के अध्यक्षों को यह अनुमति प्रदान की जाती है कि वे **अध्यक्ष के पक्ष में शिष्टाचार व्यय के मद में रू.5,000/-(रूपया पांच हजार मात्र) प्रति माह की सीमा तक** प्राविधान अथवा संशोधित प्राविधान करा सकते हैं। इस हेतु शासन स्तर से कोई अनुदान/धनराशि की मांग नहीं की जायेगी और न ही शासन स्तर से उक्त हेतु किसी प्रकार की वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी।"

2. इस संबध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शिष्टाचार व्यय के मद में उक्त प्राविधानित धनराशि रू.5,000/-(रूपया पांच हजार मात्र) प्रति माह की सीमा में सम्माजनक बढ़ोत्तरी हेतु प्रदेश अध्यक्ष, स्थानीय निकाय अध्यक्ष ऐसोसिएशन उ0प्र0 के समय-समय पर प्राप्त पत्रों द्वारा अनुरोध किया गया है, मामले में परीक्षणोंपरांत यह पाया गया कि उक्त शासनादेश दिनांक 14 मई, 2003 को निर्गत हुए 10 वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो रहा है, इस बीच मूल्यवृद्धि और वर्तमान मूल्य सूचकांक को दृष्टिगत रखते हुए, उक्त शिष्टाचार व्यय के मद में उक्त प्राविधानित धनराशि रू.5,000/-(रूपया पांच हजार

M Go

मात्र) प्रति माह की सीमा को बढ़ाकर रू.15,000/-(रूपया पन्द्रह हजार मात्र) प्रति माह की सीमा की स्वीकृति तत्काल प्रभाव से प्रदान की जाती है।

3. उक्त शासनादेश दिनांक 14 मई, 2003 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाये, शेष समस्त शर्तें एवं प्रतिबंध यथावत् रहेंगे। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि इस हेतु शासन स्तर से कोई अनुदान/वित्तीय सहायता एवं धनराशि की मांग नहीं की जायेगी और न ही शासन स्तर से उक्त हेतु किसी प्रकार की कोई वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी। उक्त धनराशि का उपयोग जिस उद्देश्य हेतु है, उसी मद में उसका उपयोग नियमानुसार सुनिश्चित किया जायेगा, इसके उल्लंघन की जानकारी/तथ्य संज्ञान में आने पर संबधित के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

भवदीय,

(श्रीप्रकाश सिंह)
सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव-

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. समस्त अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषदें/नगर पंचायतें उ0प्र0 **द्वारा निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0, लखनऊ।**
2. नगर विकास अनु0 2/6
3. प्रदेश अध्यक्ष, स्थानीय निकाय अध्यक्ष ऐसोसिएशन उ0प्र0
4. वेव मास्टर, नगर विकास विभाग को इस आशय से प्रेषित कि उक्त शासनादेश एवं पूर्व निर्गत शासनादेश दिनांक 14 मई, 2003 को विभागीय वेवसाइट पर अपलोड किया जाना एवं समस्त संबधित को ई-मेल किया जाना कृपया सुनिश्चित किया जाये।
5. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(सुधीर सिंह चौहान)
संयुक्त सचिव।

M Go